महतवपूर्ण/ वितृतीय स्वीकृति
संख्या-716/2026/021- 1957788

प्रेषक,
राजेश्वरी प्रसाद ,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मिर्जापुर।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक:28 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले प्रान्तीयकृत मेला- मॉ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला(चैत्र नवरात्र मेला) 2026, मिर्जापुर के आयोजन हेतु बजट आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 300/स्था0नि0लि0-2 , दिनांक 17.02.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद मिर्जापुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले प्रान्तीयकृत मेला **मॉ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला(चैत्र नवरात्र मेला) 2026** के आयोजन हेतु धनराशि रू 88.00 लाख का बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मिर्जापुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रान्तीयकृत मेला **मॉ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ मेला(चैत्र नवरात्र मेला) 2026** के आयोजन हेतु धनराशि रू0 88.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण **धनराशि रू0 88.00 लाख (रूपये अठठासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति** निर्गत करते हुए, आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(i) उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।

(ii) उक्त स्वीकृत धनराशि का मितव्ययतापूर्ण व्यय विवरण मय फोटोग्राफ उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसको तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) उक्त वित्तीय स्वीकृति के सीमान्तर्गत ही मेला का सकुशल आयोजन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त देयता सृजित न की जाय। उक्त वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त कोई भी धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी। स्वीकृति धनराशि से अतिरिक्त व्यय करके दायित्व सृजित किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।

(iv) उक्त धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा।

(v) शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(vii) उक्त मेला के आयोजन हेतु कार्यदायी विभागों द्वारा यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय किया जाता है, तो कार्यदायी विभाग द्वारा उक्त अतिरिक्त व्यय को स्वयं के स्त्रोतों से वहन किया जायेगा। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, शासन द्वारा कोई धनराशि नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।

(viii) शासनादेश दिनांक 07.07.2025 द्वारा प्रान्तीयकृत मेलों के संचालन हेतु निर्धारित एस0ओ0पी0 का अनुपालन संबंधित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 88,00,000 (रुपये अट्ठासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 0 3 7 लेखा शीर्षक** 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 28-02-2026
16:50:55

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या- /2026/ /021-comp no. 1957788, तद् दिनांक।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जिला मिर्जापुर।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
6. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।